535

[श्री ब्रारिफ मोहम्मद खान]

बाकी माननीय सदस्य ने जो बात कही है। ऐसी ही बातों के निस्तारण के लिए श्रीर ऐसे मामलों को तय करने के लिए ही श्रायोग का गठन किया गया है श्रीर माननीय सदस्य श्रगर उसके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहें तो वह सुझाव भी श्रायोग को दे दिए जाऐंगे।

श्री सुशील चन्द महन्त : उसी कमीशन के बारे में ...?

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खान : वह इससे ग्रलग है। इसी कमीशन के बारे में।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Smt. Ram Dulari Sinha to make a statement about Assam.

V. Setting up of Commission of Inquiry into the incidents relating to clashes on Assam-Nagaland border.

[The Vice-Chairman (Shri Chimanphai Mehta) in the Chair.]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME **AFFAIRS** (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir. The House will recall the statement of Home Minister on the 23rd July, 1985 in reply to the Calling Attention Motion pertaining to the armed clashes between the Assam and Nagaland Police in June, 1985 at Merapani on the Assam Nagaland border, that it had been decided to appoint a Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 to fully go into the facts pertaining to these clashes and to probe into the conduct of the officials of the two States and also to fix the responsibility. In this context, I rise to inform the House that the Government have decided that the Commission of Inquiry will be presided over by Shri B. C. Mathur, retired Secretary to the Government of India.

The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters:—

- (i) the sequence of events leading to and all the facts relating to the said conflict in the Merapani area on the Assam-Nagaland border;
- (ii) whether the conflict and the resultant loss of human life and damage to property could have been averted;
- (iii) the role of the authorities in both the States in mobilizing and deploying armed police forces including village guards of Nagaland;
- (iv) whether there were any lapses or dereliction of duty on the part of the officials and uniformed forces of the two State Governments;
- (v) the deficiencies in the police set-up of both the States and suggestions for revamping the same.

The Commission may also recommend short-term and long-term measures to prevent recurrence of such incidents and in that context make such other recommendations and an interim report, as it may deem fit.

The Commission of Inquiry has been asked to submit its report within six months. The notification to this extent has been published in the Official Gazette yesterday.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया, यह जो कमीशन श्राफ इनक्वायरी एपोइन्ट किया गया है उसका मैं स्वागत करता हैं, लेकिन एक बात इस संबंध में मैं मंं में महोदय से जानना चाहता हूं कि टम्स् श्राफ रिफरेंस की जो पांच बातें इसमें कही गई हैं उन में जो घटनाएं घटी थीं नागलैंड श्रीर श्रसम के मुख्य मंत्री भी उनमें हैं, वह भी उन घटनाश्रों के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। चाहिए तो यह था कि वहां जो लासेज हुए वहां जो मारपीट हुई, जो कुछ लोग मारे गए उस सब को रोकिन में ये मुख्य मंत्री श्रसमर्थ रहे हैं। श्रा इन सब लासेज की

538

जांच भी इस कमीशन के द्वारा की जाएगी ग्रौर उन्हें दंडित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जायेंगे।

🚢 श्रीमतीराम दुलारी सिन्हाः श्रानरेबिल मेम्बर की बातों को सूना। मैंने जो बयान दिया है उसमें टर्म्स प्राफ का जिक किया है। क्योंकि कमीशन स्राफ इनक्वायरी एपोइन्ट हो गया है स्रौर नोटीफिकेशन हो गया है इस लिए उस मौके पर मेरे लिए कुछ ग्रौर कहना लाजिमी नहीं है। यदि कमी-शन ग्राफ इनक्वायरी के सामने माननीय सदस्य या ग्रीर कोई जाकर कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते है।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir in the Commission of Inquiry that has been appointed. I would like to know what are the terms of reference that have been given. Has the Government included within its scope not only the officers but also the responsible political personalities, including Ministers? Will the Government also include the Ministers and inquire into their conduct in regard to the present clash? I want to know all that. Secondly, Sir, what action will the Government take after the report is submitted? know, Sir, that the Sundaram Commission was appointed in regard to the border dispute and the Sundaram Commission submitted its report. But no action was taken on that report and the result is that the border dispute is continuing. So, what action will the Government take after the report is received? Is the Government prepared to take drastic action on the basis of , this inquiry committee report. I want to know. because everybody knows that these armed clashes between the police forces of the two States could not have taken place without the support of those people who are running these two States? Therefore, to find fault with the officials of the two sides at lower levels will not be sufficient. Therefore. I want to know whether the Government is going to take action, necessary action, if from the report it

is found that politicians were also responsible and involved, in the clashes will the Government take against them? Is the Government going to take any immediate steps in regard to solving the so-called border dispute between Assam and Nagaland?

(उपसभापति महोदया)

श्री ग्रश्विनी कुमार (बिहार): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने जो कमीशन विठाया है मैं उसका स्वागत करता हूं, परन्तु जो टर्म्स ग्राफ रिफरेंम दिए गए हैं उस बारे में कुछ चीजें जानना चाहता हुं। इसमें पहला है कि ...

the sequence of events leading to and all the facts relating to the said conflict in the Merapani area.

यह सीक्वेंस म्राफ ईवेंट्स म्राप किस तारीख से शुरू कर रहे हैं? ग्राज से शुरू हो रहा है या जब से उनका स्रापस का झगड़ा चल रहा है, पिछले पन्द्रह साल से ग्राप उसको जोड़ रहे हैं या जो तत्काल गड़बड़ हुई है उसी वक्त से इसको लेंगे ? यह ग्राप बताने की कपा करें।

दूसरे श्रभी जो झगड़ा हुग्रा है पुलिस फोर्स में और ग्रनग्राम्ड फोर्सेज में, जिसको सभी जानते है, जिसकी चर्चा भी यहां हुई है, परन्तु जो ग्रसली प्राब्लम है, जो वहां की सीमा का झगड़ा है, उसके बारे में ग्राप क्या करने जा रहे हैं। इसके बारे में पूरा कमीशन मौन है। सरकार क्या वताने का प्रयास करेगी कि जो झगडें की जड़ है उस के बारे में ग्राप क्या कर रहे हैं या ऊपर की जो फुंसी है उसकी ही ग्राप देखकर उसका इलाज कर रहें

तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हं कि इन सारे क्लेशेज में बहुत से ऐसे हथियार उपयोग में ब्राए है कि जो पुलिस फोर्स के पास नहीं होते। तीन ईच का मोर्टार उपयोग में ग्राया है। यह कहां से ग्राया ? वार्डर सीक्योरिटी फोर्स के पास या ग्राम्ड फोर्सेज के पास यह 539

्_{र केर्न} क्लेन्ट्रच्या स्थल के स्टाउटको र ० तुर्वे श्री ग्रहिवनी कुमार केर्या

होता है या विदेशों से ग्राता है। पुलिस फोर्स के पास यह कसे ग्राया? ऐसे हथियार पुलिस फोर्स के पास नहीं रहने चाहिएं। इस के लिए ग्रापने टर्म्स ग्राफ रिफरेंस में कोई समावेश किया है या नहीं। इन तीन विषयों के बारे में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहंगा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: माननीय दो सदस्यों ने जिन वातों का तजिकरा किया है श्रीर जो सवाल उन्होंने उठाए है उनके बारे में मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहती हूं कि जब कमीशन सेट-श्रप हो गया तो श्रव मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई चीज कहूं कि इस चीज को उस में रखा जायेगा या नही रखा जायेगा श्रीर इन-क्वायरी कहां से शुरू होगी श्रीर कहां खत्म होगी। जो टर्म्स श्राफ रिफरेंस हैं उनका भैंने जिन्न कर दिया है।

जहां तक हिथयारों की बात है, कालिंग अटेंशन के दौरान जो बहस हुई थी उसमें काफी बातें आ चुकी हैं। अख-बारों में भी बातें आई थी और इस स्टेज पर मेरे लिए कुछ कहना कि विदेश से हिथियार आए या देश के किसी कोने से आए या किसी और स्रोत से आए मैं समझती हूं लाजिमी नहीं है।

श्री ग्रश्विनी कुमार: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो जांच हो रही है उसमें यह इनक्लयूडेड है क्या?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: माननीय सदस्यों ने जो इसका स्वागत किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। माननीय सदस्यों ने कहा कि रिपोर्ट को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जायेगा या नहीं, तो मैं यह श्राग्रह करूंगी कि 6 महीने की श्रवधि निर्धारित की गई है। जब वह रिपोर्ट श्रायेगी तो सदन के पटल पर रखी जायेगी श्रीर उस पर क्या किया जायेगा यह श्रागे की बात है। कमीशन श्राफ इनक्वायरी के टम्सं श्राफ रिफरेंस में है कि:

Government will consider taking action after receipt of Commission's report.

मैंने पहले भी बताया है:

Sequence of events period from April—June, 1985 to be included. Reference No. 3 is clear.

जितना भुझे कहना था मैंने कह दिया। ग्रब ग्राप लोग इन्तजार कीजिए कि रिपोर्ट ग्रा जाये ग्रीर सभा पटल पर रखी जाये।

THE COFFEE (AMENDMENT) BILL,

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY (SHRI P. A. SANGMA): Madam I beg to move:

"That the Bill further to amend the Coffee Act, 1942, as passed by the Lok Sabha,, be taken into consideration."

As the House is aware, the Coffee Board has been functioning with the main objective of development coffee plantations and regulation sale and export of the produce from such coffee plantations. The plan and non-plan expenditure involved is met from the proceeds of duties of customs and excise levied under the Coffee Act, 1942. The present rate of duty of customs and duty of excise coffee has reached the upper ceiling of Rs. 11.80 per quintal as fixed under the Act. These rates have been there since 16-12-1977. The plan and nonplan expenditure of the Board excluding loans and subsidies has creased from Rs. 1.78 crore in 1978-79 to Rs. 3.90 crore in 1984-85. The budget estimates for 1985-86 are of the order of Rs. 6.45 crore. Expenditure however shot up tremendously the year whereas rates of duty customs and excise are at the same level as they were fixed on 16-12-1977. Under non-Plan, there has been crease in expenditure due to increase in DA, ADA, interim relief etc.